

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.4(3)नविवि/II/2021 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक:

2 DEC 2021

आदेश

नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा प्रेषित प्रस्तावानुसार श्री अंकित मालव, कनिष्ठ अभियन्ता(विद्युत), नगर विकास न्यास, कोटा की प्रतिनियुक्ति अवधि में एक वर्ष की अभिवृद्धि प्रदान किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd/-
(अवधेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा।
5. श्री अंकित मालव, कनिष्ठ अभियन्ता(विद्युत) द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।

rm
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय